



आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

प्रीलिमिन्स के लिये:

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

मेन्स के लिये:

COVID-19 (कोरोना वायरस) का मौजूदा प्रकोप और COVID-19 को रोकने के प्रबंधन हेतु लॉजिस्टिक संबंधी चर्चाएँ

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने [आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955](#) (Essential Commodities Act, 1955) में संशोधन करते हुए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) और हैंड सैनिटाइज़र को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिये एक आदेश अधिसूचित किया है।

मुख्य बटु:

- सरकार ने वधिक माप वजिज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) के तहत एक एडवाइज़री भी जारी की है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्य, वनिर्माताओं के साथ वचिर-वमिरश कर उनसे इन वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति शंखला को सुचारु बनाने के लिये कह सकते हैं।

क्या है समस्या:

- वगित कुछ सप्तहों के दौरान कोवडि-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के चलते मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइज़र या तो बाज़ार में अधकिांश वकिरेताओं के पास उपलब्ध नहीं हैं अथवा बहुत अधकि कीमतों पर काफी मुशकलि से उपलब्ध हो रहे हैं।

अधनिियम में शामिल करने से लाभ:

- इन दोनों वस्तुओं के संबंध में राज्य अपने शासकीय राजपत्र में अब केंद्रीय आदेश को अधसूचित कर सकते हैं और इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने स्वयं के आदेश भी जारी कर सकते हैं साथ ही संबंधित राज्यों में व्यापत प्रकोप के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियाँ वर्ष 1972 और 1978 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रत्यायोजित की जा चुकी हैं। अतः राज्य/संघ राज्य कषेत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाज़ारी नविरण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उल्लंघनकरत्ताओं के वरिद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।
- वधिक माप वजिज्ञान अधिनियम के तहत राज्य न्यूनतम खुदरा मूल्य पर इन दोनों वस्तुओं की बकिरी सुनशिचति कर सकते हैं।

क्या हैं दंडात्मक प्रावधान?

- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कसिी उल्लंघनकरत्ता को 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है तथा चोरबाज़ारी नविरण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत उसे अधकितम 6 माह के लिये नज़रबंद किया जा सकता है।

नरिणय का संभावति प्रभाव:

- यह नरिणय केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य कषेत्रों को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइज़र के उत्पादन, गुणवत्ता, वतिरण आदि को वनिधिमति करने और इन वस्तुओं की बकिरी एवं उपलब्धता को सहज बनाने तथा आदेश के उल्लंघनकरत्ताओं एवं इनके अधमिल्यन, कालाबाज़ारी आदि में शामिल व्यक्तियों के वरिद्ध कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाएगा।

- इससे आम जनता को दोनों वस्तुएँ उचित कीमतों पर उपलब्ध होंगी।
- राज्यों को उपरोक्त दोनों वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने के लिये राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का प्रचार करने की सलाह भी दी गई है।

आगे की राह:

- कोरोनावायरस से बचाव की तैयारी करना न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, नज्दी और सार्वजनिक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को आकस्मिक और अग्रिम तैयारी योजनाएँ बनाना चाहिये।
- बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होगी। इसके लिये उचित जोखिम उपायों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रत्येक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- सही जानकारी ही बचाव का बेहतर विकल्प है, इसलिये सरकार, सामाजिक संगठनों तथा लोगों को सही दिशा-निर्देशों का प्रसार करना चाहिये।

स्रोत- पीआईबी

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/essential-commodities-act-1955>

